



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
कैशरी कैशर पत्नी कैडयन शाह गणपतपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर 252/2021		GCMS No. 2021/1004	
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
<u>1/12.2021</u>	<p>वादी श्री कैशरी पु. कैडयन जाति शाह निवासी गणपतपुर द्वारा आज “प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 “ कैम्प ग्राम पंचायत गणपतपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 ग्राम गणपतपुर पटवार मण्डल गणपतपुर के खाता नम्बर 60 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि कैशरी पत्नी कैडयन दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम कैशर पत्नी कैडयन है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 6012 2732 2818 मतदाता पहचान पत्र - अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी गणपतपुर भू.अ.नि. गणपतपुर एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>		
			
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)</p>		1054-1056